

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

संजीव बनाम जसवन्त

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/501

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

18.01.23

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पत्रावली विद्धो करने प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अपीलार्थीगण कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है तथा उक्त प्रकरण को विद्धो करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को विद्धो फरमाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण स्वयं ही प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए अपनी अपील को विद्धो करना चाहे रहे है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अपील विद्धो करने बाबत स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील को विद्धो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थीगण की अपील इसी स्तर पर विद्धो/खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(अन्तरसिंह नेहरा)

संभारणीय आयुक्त,

जयपुर।

18/1/23